

झारखण्ड गजट (असाधारण), शनिवार 14 मई, 2011

प्रपत्र-2

जिला शिक्षा अधीक्षक का कार्यालय, जमशेदपुर

[जिला का नाम]

पूर्व सिंहभूम।

तारीख 08/09/2015

आंक 01

विषय: निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रावधान के लिए झारखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के नियम के अन्तर्गत विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

प्राप्तकर्ता: महोदय

आपके द्वारा दिनांक 17.05.2012 को समर्पित आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के मान्यता प्रमाण-पत्र के संबंध में विद्यालय के निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर R.M.S. High School, Khutadih, Sonari, Janshedpur

आपके प्रतिवेदन को शैक्षणिक सत्र 2015-16 में कक्षा I से VIII तक के बच्चों को मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

RMS HIGH SCHOOL, KHUTADIH

RMS HIGH SCHOOL, KHUTADIH

प्राप्तकर्ता मान्यता निम्नलिखित शर्तों के अधीन है

Principal

Manager

1. इस मान्यता में किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संयोजन करने के लिए कोई बाधा नहीं है।
 2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 एवं झारखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के उपबंधों को पूर्णतया पालन करेगा।
 3. विद्यालय अपनी प्रथम कक्षा में उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आगे बढ़ने के कमजोर एवं अभिव्यक्ति वर्ग के बच्चों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, उच्चतर प्राथमिक शिक्षा पूर्ण हो जाने तक सहायता करेगा।
- उक्त कड़िका-3 में उल्लेखित बालकों के लिए, विद्यालय को अधिनियम की धारा 18 उपधारा (2) के उपबंधों के तहत प्रतिपूर्ति राशि हेतु विद्यालय एक अलग बिल दाखल करेगा।



5. विद्यालय किसी भी प्रकार से बच्चों या उनके अभिभावक से कोई कंपिटेशन शुल्क नहीं लेता और विद्यालय में नामांकन हेतु किसी बालक या उसके माता-पिता या अभिभावक को किसी प्रकार का स्वीकृति टेस्ट नहीं लेता।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का श्वेत नहीं होने के कारण प्रवेश देने से इनकार नहीं करेगा और ऐसे स्थिति में अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन किया जाएगा।
7. विद्यालय निम्नलिखित विन्दुओं पर अनुपालन सुनिश्चित करेगा:
 - i. प्रवेश दिये गए किसी भी बालक को, विद्यालय ने उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
 - ii. किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक दंड नहीं दिया जाएगा।
 - iii. प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
 - iv. प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधानों के आलोक में प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा।
 - v. अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार निश्चयता सरत/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा।
 - vi. अध्यापकों की मती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन घोषित सक्षम प्राधिकार यात्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम अहताई के अनुरूप किया जायेगा तथा जिनके पास उस निर्धारित न्यूनतम अहताई अधिनियम 2009 के लागू होम के समय नहीं है पांच वर्ष के भीतर ऐसी न्यूनतम अहताई अर्जित कर लेगे।
 - vii. अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन उल्लेखित अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे और
 - viii. अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
8. विद्यालय राज्य प्राधिकार द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथा उल्लेखित विद्यालय के मानकों और सन्निगमों को बनाए रखेगा।
10. विद्यालय के अन्तिम निरीक्षण के समय पतिवैदित की गई प्रतिक्रिया विनियमानुसार है -



- i. विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल
- ii. कुल निर्मित क्षेत्र
- iii. ग्रीड-रथल का क्षेत्रफल
- iv. कक्षाओं की संख्या
- v. प्राध्यापक-सह-कार्यालय-सह-गांडागार के लिए कम
- vi. बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय

RMS HIGH SCHOOL, KHUTADIH

[Signature]

Manager

[Signature]

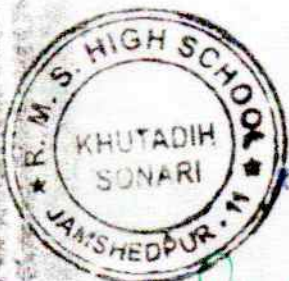
RMS HIGH SCHOOL, KHUTADIH

[Signature]
Principal

[Signature]

- vii. पैसजल सुविधा
- viii. मिड-डे-मिल पकाने के लिए रसोई (सरकारी विद्यालय)
- ix. बालारहित पहुंच
- x. अध्यापन पढ़न सामग्री / क्रीडा खेलकूल उपस्करों / पुस्तकालय की उपलब्धता
11. विद्यालय के परिसर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के, नाम से कोई भी वास्तव्यपूर्ण कक्षाएं नहीं चलाई जाएगी।
12. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाएगा।
13. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तिगत के नाम पर नहीं चलाया जाएगा।
14. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर अकाउंटेंट द्वारा समीक्षा की जागी चाहिए और प्रत्येक द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधीक्षक को भेजी जाएगी।
15. विद्यालय ऐसे प्रतिवेदन और जानकारी प्रस्तुत करेगा जो समय-समय पर प्राप्ति प्राप्त निदेशक / जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा अपेक्षित हो और राज्य सरकार / केंद्रीय प्राधिकार के द्वारा अनुदेशों का पालन करेगा, जो माचता संबंधी शर्तों के तहत अनुपालन में पूर्णतया करण में विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाये।
16. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के तहत की गई हुई इसी सोसाइटी द्वारा या तत्काल प्रवृत्त किसी विधि के अंतर्गत गठित किसी संगठन द्वारा चलाया जाएगा। सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को पूर्णतया किया जाएगा।

आपके विद्यालय को आवंटित माचता कोड संख्याक 01 है। कृपया इसी कोड का उपयोग राज्य कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्याक का सहरोध किया जाये।



RMS HIGH SCHOOL, KHUTADIH

RMS HIGH SCHOOL, KHUTADIH

Manager

Principal

PRINCIPAL
RMS HIGH SCHOOL
Khutadih, Sonari, Jamshepur

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 2011-12

RMS HIGH SCHOOL

SECRETARY